अध्याय 3

निर्णय लेने की प्रक्रिया का पालन किया जाता हैं

[धारा 4 (1) (बी) (iii)]

लोकप्राधिकरण (उपायुक्त अधिकारी) द्धारा निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन करें।

गतिविधि	विवरण	निर्णय लेने की प्रक्रिया	अंतिम निर्णय लेने वाले अधिकारी का पदनाम
समस्त गतिविधियां	• पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक लेखन कार्य • मूल्यांकन • शोध एवं नवाचार • प्रशिक्षण • छात्रवृत्ति तथा सम्बन्धी परीक्षाएं • ई.सी.जी.वी. की बैठक • मॉनिटरिंग • E&R • IED • RTE • साक्षर भारत • आवासीय छात्रावास • सिविल • सी.एम. हेल्पलाइन	स्कूल शिक्षा विभाग एवं राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी नियम एवं निर्देशों के अंतर्गत कार्यालय के सभी कक्षों द्वारा नस्ती तैयारकर आवश्यक टिप्पणी सहित संबंधित अधिकारी अथवा आहरण संवितरण अधिकारी जैसी स्थिति हो, तो प्रकरण प्रस्तुत किये जाएंगे, संबंधित अधिकारी प्रस्तुत प्रकरणों पर नियम निर्देशों के तहत आवश्यक टीप लिखकर अपर संचालक/अपर मिशन को प्रस्तुत करेंगें। अपर मिशन संचालक/अपर संचालक, संचालक/आयुक्त को नस्ती प्रस्तुत करेंगे। संचालक/आयुक्त कार्यालय प्रमुख होने के नाते प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत निर्णय लेकर नस्ती संबंधित कक्ष में उसी क्रम से प्रेषित की जाती है, जिस क्रम से नस्ती प्राप्त हुई थी।	संचालक